क0.स0..

सेवामें, दिनांक ....

प्राधिकृत अधिकारी
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
गांधीनगर, जिला– भीलवाड़ा (राज.)

विषयः–सार्वजनीक नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके द्वारा दिनांक .... को प्रस्तावित नीलामी में निम्न प्रापर्टी हेतु आवेदन निम्नानुसार कर रहा हूॅ/रही हुॅ/रहे हैं एवं निम्नानुसार धरोहर राशि प्रेषित कर रहा हूॅ/रही हुॅ/रहे हैं

	सम्पत्ति	प्रस्तावित राशि	धरोहर राशि	दिनांक विवरण (बेंकर्स चैक नं. व बैक का नाम)
1	**लोट (ए) :–** श्री नितेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री कृष्ण अवतार गुर्जर की प्लॉट नं. ए 0076, सुशांत सिटी, गेगल, अजमेर, जिला– अजमेर (राज.) स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1201.32 वर्गफीट)			

मैने/हमने सम्पत्ति का निरीक्षण कर लिया है एवं निवीदा की समस्त शर्ते पढ़ व समझ ली है, समस्त प्रकार से सन्तुष्ट होने के पश्चात मै/हम समस्त शर्तो कि पालना करने को सहमत हूॅ/हैं ।

हस्ताक्षर

नाम... पहचान के दस्तावेज का विवरण ....

पिता का नाम,.. ....

पता.. अधिकार पत्र का विवरण ....

....

मोबाईल नं...फोन नं...व्यवसाय...

–: नीलामी के पश्चात प्रयोग के लिये :–

अधिकतम बोलीदाता	असफल बोलीदाता
1. मैने/हमने इस नीलामी में अधिकतम बोली रू .... लगाई है, जो की अधिकतम है। 2. अधिकतम बोली होने के कारण धरोहर राशि विक्रय प्रतिफल में समायोजित करने का कष्ट करे। नीलामी की शर्तो के अनुसार विक्रय प्रतिफल के 25 प्रतिशत के रूप में धरोहर राशि समायोजित करने के बाद रू .... निकलते है। यह रकम डी. डी. /बैकर्स चैक नं. .... के साथ सलग्न है। **या** यह रकम जमा करवाने हेतु 24 घण्टे का समय देने का कष्ट करे। **हस्ताक्षर**	1. मैने/हमने इस नीलामी में अधिकतम बोली रू ....लगाई है। 2. बोली असफल होने के कारण उपरोक्त डी. डी./ बैकर्स चैक पुर्नः प्राप्त किया **हस्ताक्षर**

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

गांधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) / सार्वजनिक नीलामी सूचना एवं विक्रय के निबंधन एवं शर्तें :–

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन एक्ट 2002 (2002 का सं. 54) के अन्तर्गत बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित वर्णित विवरण वाले ऋणियों को नोटिस जारी किया है और तत्पश्चात् बंधक सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 नियम 8 व 9 के अतंर्गत जो है, जैसी है, जहाँ है, और जितनी भी उपलब्ध है, के आधार पर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा–किशनगढ़, जिला–अजमेर (राज.), फोन नं. 01463.246480 पर टेण्डर नीलामी द्वारा विक्रय का निर्णय लिया है।

–: नीलामी की शर्ते :–

1. इच्छुक खरीददार अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गांधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) शाखा एवं किशनगढ़, जिला– अजमेर (राज.) शाखा में तथा बेवसाईट **www.enforcementindia.com** पर उपलब्ध) पर अपने द्वारा प्रस्तावित मूल्य लिखकर एवंम सील बंद लिफाफे में धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक जो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गांधीनगर, भीलवाड़ा (राज.), के पक्ष में हो, के साथ नीलामी की तिथि से पूर्व कार्यदिवस तक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गांधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) शाखा अथवा किशनगढ़, जिला– अजमेर (राज.) शाखा पर या नीलामी की तिथि को नीलामीकर्ता के पास नीलामी स्थल पर सुबह 10:00 बजे के पश्चात एवं निविदा खोलने से पूर्व जमा करवाकर नीलामी मे भाग ले सकते है। निविदा खोलने के पश्चात समस्त निविदा कर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प नीलामीकर्ता के पास सुरक्षित है।

2. अधिकतम राशि की निविदा के साथ वाला डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक रखा जायेगा तथा शेष निविदाकारो के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नीलामी के तुरन्त बाद सम्बन्धित निविदाकारों को लौटा दिया जायेगा। अधिकतम निविदाकार को नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि मौके पर ही नीलामी के तुरन्त बाद जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गांधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) के पक्ष में देय हो, नीलामी कर्ता के पास जमा करानी होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में निविदाकार को 24 घण्टे के अन्दर यह राशि जमा करवाने की अनुमति दी जा सकती है। धरोहर राशि को भी इस राशि में समायोजित किया जायेगा। यदि निविदाकार उपरोक्तानुसार राशि जमा नही करता है तो 10 प्रतिशत की धरोहर राशि जब्त समझी जायेगी।

3. शेष 75 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा जारी मांग पत्र से पन्द्रह दिवस के अन्दर जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गांधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) के नाम देय हो, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गांधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) अथवा किशनगढ़, जिला– अजमेर (राज.) की शाखा के शाखा प्रबन्धक को जमा करवानी होगी अन्यथा पूर्व में जमा 25 प्रतिशत राशि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गांधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) में जब्त समझी जायेगी।

4. सम्पति जो है, जहाँ है, जैसी है, और जितनी भी उपलब्ध है, की स्थिति में बेची जायेगी। उपरोक्त वर्णित विवरण क्षेत्रफल व सिमाए बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार है। मौके पर भिन्न स्थिति होने पर प्राधिकृत अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सम्पत्ति हस्तान्तरण व विक्रय विलेख निष्पादित करवाने में लगने वाले समस्त व्यय यथा रजिस्ट्रेशन व्यय, स्टाम्प डयुटी एवं हस्तान्तरण फीस, इत्यादि क्रेता द्वारा ही वहन की जायेगी। बन्धक सम्पत्ति पर बैंक को किसी भी प्रकार के भार व अन्य दावों की जानकारी नहीं है। प्रस्ताव की तिथि को उससे पूर्व या उसके बाद सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी तरह के चार्जेज, टैक्स या अन्य दायित्वो (यदि कोई हो तो,) का वहन क्रेता को ही करना पडेगा जिसके लिये बैंक प्रतिभूत लेनदार जिम्मेदार नहीं होगा।

5. नीलामी/विक्रय की पुष्टि प्राधिकृत अधिकारी, के क्षेत्राधिकार में होगी, जिसे किसी भी कारण एवं बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। धरोहर राशि या विक्रय प्रतिफल के रूप में जमा किसी भी राशि पर किसी भी परिस्थिति में कोई ब्याज देय नही होगा।

6. नीलामी या नीलामी के किसी भी खण्ड को रद्द करने, शामिल करने या निकालने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है तथा इसके लिये बैंक द्वारा कोई भी क्लेम स्वीकार नही किया जायेगा।

7. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना फोटो युक्त पहचान दस्तावेज पेश करना होगा। किसी अन्य के लिए बोली में भाग लेने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को इस हेतु अधिकृत किये जाने का दस्तावेज पेश करना होगा।

8. नीलामी की अन्य शर्तें नीलामीकर्ता द्वारा मौके पर ही सूचित की जायेगी। संपत्ति एवं नीलामी के बारे में अधिक जानकारी के लिये बेवसाईट **www.enforcementindia.com** या एंजेसी राजवंशी एण्ड एसोसिएटस या अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

बोलीदाता हस्ताक्षर | प्राधिकृत अधिकारी